कोरोना से मौत पर ईएसआईसी बीमित के आश्रितों को मिलेगी पेंशन

हरिभूमि न्यूज ▶▶| रायपुर

ईएसआईसी कर्मचारी राज्य बीमा निगम में पंजीकृत कर्मचारियों की यदि कोरोना से मौत होती है तो उनके आश्रितों को औसत वेतन की अधिकतम 90 फीसदी राशि पेंशन के रूप में मिलेगी। इसके लिए श्रम मंत्रालय भारत सरकार कोविड-19 राहत योजना शुरू की गई है।

यह राशि सीधे आश्रितों के खाते में डाली जाएगी। कोरोना संक्रमित होने के 30 दिन के भीतर अगर कर्मचारी की मौत होती है तो उसे भी राहत योजना में कवर किया जाएगा। पेंशन पात्रता के लिए, जिस कर्मचारी की कोरोना से मृत्यु हुई, उसे कोविड की पुष्टि होने की तारीख से तीन माह पहले निगम के ऑनलाइन पोर्टल में पंजीकृत होना जरूरी होगा। इसके साथ ही पिछले एक साल की अवधि के दौरान कम से कम 70 दिनों के अंशदान का भुगतान होना आवश्यक होगा। योजना का लाभ पाने के लिए मृतक कर्मचारी के आश्रित मृत्यु प्रमाणपत्र व कोरोना संबंधी रिपोर्ट के साथ ईएसआईसी की नजदीकी शाखा के कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का लाभ 15 दिन के भीतर देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा मृत कर्मचारी के विधवा या विधुर 120 रुपए वार्षिक खर्च पर निगम की ओर चिकित्सा लाभ भी प्राप्त कर सकते है। इसके साथ ही अधिनियम 1948 के तहत व्याप्त कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्वक मृत्य की की परिस्थिति में परिवार के सबसे बड़े जीवित सदस्य को या वास्तव बीमित व्यक्ति के अंतिम संस्कार करने वाले व्यक्ति को 15 हजार की राशि का भुगतान किया जाएगा।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation